संख्या-23/2026/ 49-3099/82/2024/I/1281943/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025- 26 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या- 18 के अधीन सहकारी से समृद्धि योजना का संचालन योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या -I/521290/2026/ लेखा-अ/2025-26, दिनांक 25.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या- 18 के अधीन '' सहकार से समृद्धि योजना का संचालन '' योजनान्तर्गत प्रविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 18 के अधीन '' सहकार से समृद्धि योजना का संचालन '' योजनान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष ''2425-सहकारिता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 06-सहकार से समृद्धि योजना का संचालन, 20-सहायता-अनुदान सामान्य (गैर वेतन)'' में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम /द्वितीय/ तृतीय किश्त की कुल धनराशि रूपये 750.00 लाख के निर्गतोपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम/ शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों-</u>

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 18 के अधीन लेखाशीर्ष ''2425-सहकारिता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 06-सहकार से समृद्धि योजना का संचालन, 20-सहायता-अनुदान सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-2-258-X-2025-26-दिनांक: 27-3-2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, सहकारिता उ0प्र0 , लखनऊ।
5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0, लखनऊ (पी0सी0यू0) एवं प्रबन्ध निदेशक(उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यी0पी0आर0एन0एस0एस0)।
6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8) गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।